

जय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, धोद, मु. सीकर

संतो क के का

बनाम

पक्ष विरुद्ध

सम मुकदमा

दस्ता

मु. नं.

63

वर्ष 2019

दिनांक	आज्ञा-पत्र	
27/12/18	<p>वादिया की ओर से वकील श्री ताराचन्द यादव ने यह दावा बाबत उद्घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु इस न्यायालय में पेश किया है। रिपोर्ट न्यायालय हाजा ली गई। दावा दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब कर मिसल नियत तिथि 28.01.2019 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">R.Y (राजपाल यादव) उपखण्ड अधिकारी, धोद मु0 सीकर</p>	
28/01/19	<p>वकील वकील का हजिरी वकील वकील ने निवेदन किया कि परसकान के मध्य कहेगी रजिनाम है मुक है वरि भागे चलाना नहीं चहे है वरि Note Press में रजिस्ट्रि उपे जाने का निवेदन किया है। अतः वकील वकील के निवेदन पर वरि वकील Note Press में रजिस्ट्रि उपे जाने के कठेश दिए गए है। मिसल के लिये शुभक हेतु नंबर 8 का है।</p> <p style="text-align: center;">R.Y उपखण्ड अधिकारी धोद मु. सीकर</p>	<p>Note press</p> <p style="text-align: center;">R.Y ता. रा. च. व. ड. 28/01/19 Adv</p>